महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
द्वारा

एक विशेष "सामाजिक सुरक्षा पहल"

@2012 प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय/आंतरिक

कार्यसूची की मदें

1. पृष्ठभूमि
2. महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के बारे में
3. महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना संरचना और मुख्य स्टेक होल्डर
4. महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना स्टेक होल्डर भूमिका और उत्तरदायित्व
5. महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना सेवा प्रदाता के लिए कार्य की परिधि
6. अंशदाता नामांकन के महत्वपूर्ण पहलू
7. महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना नामांकन पद्धति एवं प्रक्रिया
8. महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना अवसंरचना अपेक्षाए
9. महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना प्रोत्साहन संरचना
10. चर्चा की मदें

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

जीवन बीमा

पेंशन योजना

वापसी और पुनर्व्यवस्थापन योजना

- लगभग 5 मिलियन अर्द्ध-कुंशल और अकुशल ईसीआर पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिक 17 इसीआर देशों में कार्य कर रहे हैं।
- ये कर्मकार औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रसुविधा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- इन कर्मकारों के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना ही एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है।
- संभाव्यता अध्ययन से यह बात सामने आई है कि प्रवासी भारतीय कर्मकारों को स्वैच्छिक रूप से निम्निखित के लिए समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है:

  (क) उनकी वापसी और पुनर्व्यवस्थापन के लिए बचत

  (ख) उनकी वृद्धावस्था के लिए बचत

  (ग) प्राकृतिक मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्राप्त करना।

- मंत्रालय ने भारतीय मिशनों, वित्तीय सेवाएं विभाग, पेंशन निधि, वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से पेंशन और जीवन बीमा निधि (पीएलआईएफ) को स्वैच्छिक रूप से प्रायोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा।

- जनवरी, 2012 में मंत्रालय ने योजना से संबंधित मंत्रिमंडलीय अनुमोदन प्राप्त किया।
- योजना 1 मई, 2012 को केरल में पायलट स्तर पर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के नाम से सफलतापूर्वक शुरू की गई।
- इस योजना को केरल में 21 जुलाई, 2012 को नामांकन केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यरूप दिया गया।

- अब मंत्रालय यूएई में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को शुरू करने की तैयार कर रहा है।

जीवन बीमा

पेंशन योजना

वापसी और पुनर्व्यवस्थापन योजना

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के बारे में

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई)

- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना संयुक्त अरब अमीरात और अन्य ईसीआर देशों में ईसीआर श्रेणी के अंतर्गत कार्यरत प्रवासी भारतीय कर्मकारों के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से तैयार और आरंभ की गई सामाजिक सुरक्षा योजना है।
- इस योजना को निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त विद्यमान प्लेटफार्म का उपयोग करके कार्यान्वित किया गया है -
    - पेंशन निधि विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए),
    - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई), और
    - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विनियमित उत्पाद जो उनके संस्थानिक संरचना के अनुसार है।
- इस योजना के लिए अंशदाता के समन्वित नामांकन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जिसे नामांकन हो जाने पर अद्वितीय एमजीपीएसवाई संख्या जारी की जाएगी।

ईसीआर (उत्प्रवास जांच अपेक्षित) क्या है?

- ईसीआर का अर्थ है उत्प्रवास जांच अपेक्षित है। यह वह मुहर है जो उन लोगों के पासपोर्ट पर लगाई जाती है जिनकी योग्यता मैट्रिक से कम है। इस श्रेणी में आपको उत्प्रवासी संरक्षक से उत्प्रवास क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद ही निम्नलिखित किसी भी देश में रोजगार के लिए प्रवेश करने की अनुमति होगी:

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना और इस योजना के साझेदार

अफगानिस्तान

बहरीन

इंडोनेशिया

जार्डन

कुवैत

लेबनान

लीबिया

मलेशिया

ओमान

कतर

सउदी अरब

सूडान

सीरिया

थाईलैण्ड

संयुक्त अरब अमीरात

यमन

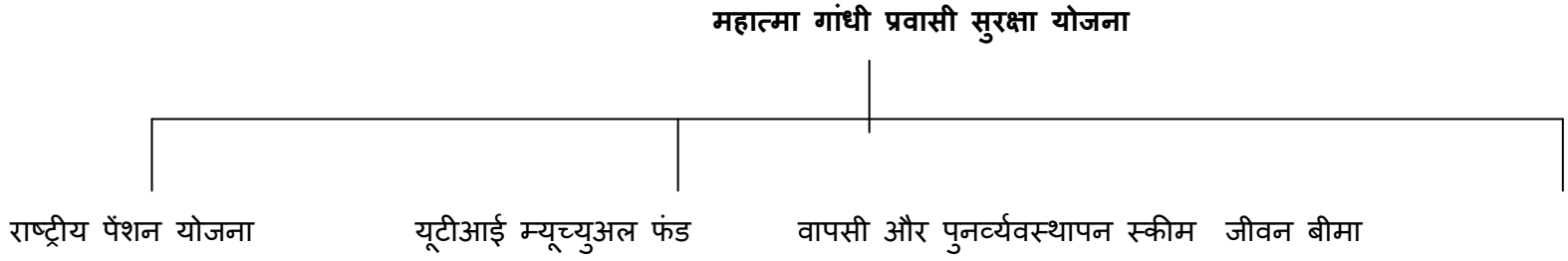
महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना
राष्ट्रीय पेंशन योजना
यूटीआई म्यूच्युअल फंड
वापसी और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम
जीवन बीमा

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में प्रसुविधाएं

पीएफआरडी द्वारा विनियमित एनपीएस लाइट में निवेश के माध्यम से वृद्धावस्था में पेंशन

वापसी और पुनर्व्यवस्थापन (आर एण्ड आर) के लिए सेबी द्वारा विनियमित यूटीआई एमआईएस में निवेश से बचत

कवरेज अवधि में प्राकृतिक और दुर्घटना मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क जीवन बीमा कवर

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में सरकार का सह अंशदान

* अपने एनपीएस लाइट खाते में प्रतिवर्ष 1000 से 12000 के बीच बचत करने वाले सभी अंशदाताओं के लिए स्वावलंबन प्लेटफार्म की भांति मंत्रालय द्वारा प्रति अंशदाता 1000 रुपए प्रतिवर्ष

* अपने एनपीएस लाइट खाते में प्रतिवर्ष 1000 से 12000 के बीच बचत करने वाले सभी प्रवासी भारतीय महिला कर्मकारों को मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 1000 रुपए का अतिरिक्त अंशदान

* वापसी और पुनर्व्यवस्थापन के लिए 400 रुपये या अधिक बचत करने वाले प्रत्येक पात्र अंशदाता को मंत्रालय द्वारा 900 रुपए तक का वार्षिक सह अंशदान।

* महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंशदाताओं की बीमा नि:शुल्क है।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार का अंशदान

* अपने एनपीएस लाइट खाते में प्रतिवर्ष 1000 से 12000 के बीच बचत करने वाले सभी अंशदाताओं के लिए स्वावलंबन प्लेटफार्म की भांति मंत्रालय द्वारा प्रति अंशदाता 1000 रुपए प्रतिवर्ष

- पुरुष कर्मकार - मंत्रालय का अंशदान महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में अशंदाता के अंशदान का लगभग 40 प्रतिशत होता है।
- महिला कर्मकार - मंत्रालय का अंशदान महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में अशंदाता के अंशदान का लगभग 60 प्रतिशत होता है।

एमजीपीएसवाई के अंतर्गत अंशदाता का बीमा नि:शुल्क है।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में पात्रता मानदण्ड

- भारतीय राष्ट्रीयता
- ईसीआर मुहर लगी पासपोर्ट
- 18 से 50 वर्ष के बीच आयु
- आवश्यक पीओई स्वीकृति के साथ मान्य रोजगार और कान्ट्रेक्ट वीजा पर उत्प्रवास करने वाला या उत्प्रवास कर चुका हो।

सेवा प्रदाता सभी दस्तावेजों की जांच और संग्रह समुचित रूप से किया जाए ताकि प्रसुविधाएं केवल पात्र अंशदाताओं को ही दिया जा सके।

योजना की प्रकृति - महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना

- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना एक स्वैच्छिक योजना है। अंशदाता इसमें अपनी इच्छा से शामिल हो सकता है।

- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना एक पैकेज के रूप में न कि पृथक रूप से तीन साझेदार स्कीमों को प्रदान करता है। यदि अंशदाता महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में अंशदान करना चाहता है तो उसे सभी तीन साझेदार स्कीमों को चुनना होगा।

- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में पंजीकरण रद्द माना जाएगा यदि अंशदाता तीनों उप स्कीमों में से किसी में रजिस्टर नहीं हो पाता है।

- सरकार पांच वित्तीय वर्ष या आपके भारत वापसी, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए सह-अंशदान करेगी।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना संरचना और मुख्य स्टेक होल्डर

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना संरचना

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

एक्सचेंज हाउस या
वित्तीय संस्थान

पीओई/मिशन

एमजीपीएसवाई और फेसिलिटेटर

एमजीपीएसवाई वितरण साझेदार

एमजीपीएसवाई पीएमयू

एनपीएस-लाइट (सीआरए)

अंशदान

एमजीपीएसवाई और फेसिलिटेटर

एमजीपीएसवाई सेवा प्रदाता

एमजीपीएसवाई प्रणाली

आर एंड आर (यूटीआई) एलआईसी-जेबीवाई

एमजीपीएसवाई और फेसिलिटेटर

एमजीपीएसवाई बैंकिंग साझेदार

भारत में सब्सक्राइबर बैंक

सूचना प्रवाह
निधि प्रवाह

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना संरचना और मुख्य स्टेक होल्डर

निगरानी

- मंत्रालय
- भारतीय दूतावास
- पीएमयू
- सेबी
- पीएफआरडीए
- आईआरडीए
- भारतीय रिजर्व बैंक

सम्मुख

- एमजीपीएसवाई सेवा प्रदाता
- पीओई/मिशन
- बैंकिंग साझेदार
- एमजीपीएसवाई प्रणाली
- एमजीपीएसवाई काल सेंटर

पृष्ठभूमि में

- एनपीएल-लाइट (सीआरए)
- यूटीआई (एएमसी)
- भारतीय जीवन बीमा निगम

स्टेक होल्डर की भूमिका और उत्तरदायित्व

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

- मंत्रालय महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना का समग्र स्वामी और प्रयोजक है
- सभी ईसीआर देशों और भारत में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना का डिजाइन करता है, विकसित करता है और लागू करता है
- पेंशन और वापसी और पुनर्व्यवस्थापन (आर एण्ड आर) स्कीम के अंतर्गत और अंशदाता की ओर से जीवन बीमा प्रीमियम अंशदान उपलब्ध करता है।
- सभी स्टेक होल्डरों और महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना की प्रगति का अनुवीक्षण करता है
- अंशदाता जागरूकता और प्रचार अभियान
- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी स्टेक होल्डरों को पारिश्रमिक का वितरण (वितरण का अनुवीक्षण)
- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में नीति संबंधी स्टेक होल्डर को आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना सेवा प्रदाता

- अंशदाता शिक्षा और जागरूकता
- प्रशिक्षित जनशक्ति और अवसंरचना प्रदान करना
- स्टेक होल्डरों के साथ समन्वय
- अंशदाता नामांकन स्टेशनों की स्थापना
- अंशदाता नामांकन
- स्कीम के साझेदारों को फार्म अग्रेषित करना
- स्कीम के अंशदान की रकम का संग्रहण और महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना स्कीम में विभिन्न साझेदारों को अग्रेषित करना
- अंशदाता को/उससे प्राप्त अनुदेशों का संग्रहण और अग्रेषण
- निकासी और दावे के अनुरोधों को संग्रह करना।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना फेसिलिटेटर और सेवा प्रदाता

फेसिलिरेटर

- नामांकन केन्द्र की स्थापना
- अंशदाता जागरूकता
- केवाईसी सत्यापन
- अंशदाता फार्म और अन्य दस्तावेजों का संग्रहण और उन्हें सेवा प्रदाता के नोडल कार्यालय को भेजना
- निकासी और दावे के अनुरोधों का संग्रहण
- सेवा प्रदाता को आवधिक रिपोर्ट भेजना

सेवा प्रदाता

- विदेश में फेसिलिटेटर की पहचान करना
- फेसिलिटेटर के साथ समझौता ज्ञापन करना
- फेसिलिटेटर के निष्पादन का अनुवीक्षण
- फेसिलिटेटर का क्षमता निर्माण
- सटेक होल्डरों केसाथ समन्वय
- फर्म और स्थायी अनुदेश/ईसी एस अनुदेश संग्रहण और अग्रेषण
- दस्तावेज प्रबंध

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना फेसिलिटेटर और सेवा प्रदाता

फेसिलिटेटर : सेवा प्रदाता माडल तब प्रयोज्य होगा जब उत्तरवर्ती की सीधी उपस्थिति न हो। जबकि उपभोक्ता के साथ संपर्क अंशदाता नामांकन फेसिलिटेटर के उत्तरदायित्व का भाग होगा, स्कीम के साझेदारों के साथ संपर्क करना सेवा प्रदाता का कार्य होगा। किसी अन्य मामले में मंत्रालय केवल सेवा प्रदाता को कहेगी।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना बैंकिंग साझेदार

- अंशदाता के लिए बैंक खाता खोलना
- स्कीम के खातों का प्रबंध
- स्थायी अनुदेश/इसीएस के माध्यम से अंशदान संग्रह
- निधि का मिलान और समेकन
- मंत्रालय को रिपोर्ट करना

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना आईटी प्रणाली

- अंशदाता का नाम
    - डेटा का डिजिटाइजेशन
    - फर्म और पीएलआईएफ आईडी सृजित करना
    - पावती सृजित करना
- सूचना का आदान प्रदान
- एमआईएस रिपोर्टिंग और डेशबोर्ड
- दस्तावेज प्रबंध
- शिकायत प्रबंध
- अंशदाता को सेवा प्रदान करना
- वैयक्तिक पोर्टफोलियों प्रबंध
- आईवीआर/काल सेंटर

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना स्कीम साझेदार

 पीएफआरडीए

- 60 वर्ष की आयु पर पेंशन प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए विनियमित एनपीएस लाइट स्कीम का गठन किया गया है-
- अंशदाता का वृद्धावस्था बचत तथा मंत्रालय का सह-अंशदान का प्रवाह एनपीएस ट्रस्टी बैंक में होगा।
- स्कीम के अंतर्गत निवेश का प्रबंधन पीएफआरडीए द्वारा विनियमित निधि प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा।

 यूटीआई

- यूटीआई वापसी और पुनर्व्यवस्थापन लेखा उपलब्ध कराता है
- निवेश सेबी द्वारा विनियमित यूटीआई एनआईएस स्कीम के अंतर्गत किया जाता है
- अंशदाता भारत वापसी पर इस रकम की निकाली कर सकता है या निवेशित बना रह सकता है।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना स्कीम साझेदार

 भारतीय जीवन बीमा निगम

- भारतीय जीवन बीमा निगम जनश्री बीमा योजना के माध्यम से जीवन बीमा कवर प्रदान करता है।
- मंत्रालय को मास्टर पालिसी जारी करना और उसका नवीकरण
- बीमा दावों पर कार्रवाई और दावे की रकम अंशदाता के खाते में डालना।

स्कीम के साझेदार मंत्रालय द्वारा यथापरिभाषित आवधिक और तदर्थ रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे।

कार्य की परिधि सेवा प्रदाता

- चलाए जाने वाली शाखाओं के लिए विश्वसनीय अवसंरचना की स्थापना
- एमजीपीएसवाई का संवर्धन और जागरूकता
- अंशदाता को महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना कार्ड जारी करना
- केवाईसी दस्तावेजों का और सभी दस्तावेजों की यथार्थता और पूर्णता का सत्यापन
- अंशदाता के अंशदान के आगामी प्रेषणों का संग्रहण
- पात्र अंशदाताओं के लिए बैंक खाता खोलने के लिए बैंकिंग साझेदारों के साथ समन्वय
- लेन-देन की सूचना का रिकार्ड रखना और लेखा मिलान सहायता
- स्टेक होल्डरों और प्रणाली के साथ डेटा शेयरिंग

कार्य की परिधि सेवा प्रदाता

 अंशदाता सेवाएं

- पीआरएएन/एओटी का वितरण
- शिकायत
- दावा/निकासी/मोचन अनुरोध
- एमआईएस और अन्य उत्तरदायित्व/मंत्रालय द्वारा सौंपी गई सेवाएं

अंशदाता नामांकन में महत्वपूर्ण पहलू

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में शामिल होने की प्रक्रिया

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में नामांकन के लिए अंशदाता संपर्क कर सकता है -

- कोई नजदीकी महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना सेवा प्रदाता नामांकन केन्द्र
  - शहर
  - भारत में पीओई कार्यालय/ईसीआर देशों में भारतीय मिशन कार्यालय
- अंशदाता को 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और आवश्यक पात्रता मानदण्ड के सबूत के साथ निर्धारित एमपीजीएसवाई आवेदन प्ररूप, केआरए, एसआई/ईसीएस अधिदेश को भरकर/हस्ताक्षर करना और केवाईसी सबूत (पासपोर्ट आकार का फोटो) प्रदपान करना होगा।
- स्कीम में शामिल होने के लिए उसके पास एक मान्य बैंक खाता होना आवश्यक है
- अभिदाता को कम से कम एक नामिती का विवरण अवश्य देना होगा।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना अंशदाता के लिए नामिती का विवरण् देना अनिवार्य है जिससे अप्रतयाशित स्थितियों में जटिलता से बचा जा सके।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में अभिदाता का अंशदान

- यूएई में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में पहला और अनुवर्ती अंशदान स्थायी अनुदेश/ईसीएस अनुदेश के माध्यम से अंशदाता के बैंक खाते से सीधे काटा जाएगा।

- अंशदाता को इसके लिए सेवा प्रदाता को स्थायी अनुदेश/ईसीएस प्रस्तुत करना होगा
- सेवा प्रदाता अपने बैंकिंग पार्टनर को ये स्थायी अनुदेश/ईसीएस अनुदेश प्रस्तुत करेगा जो इन अनुदेशों को रजिस्ट्रीकृत करेगा और प्रेषणों का संगहण आरंभ करेगा
- अंशदाता मासिक, त्रैमासिक, छमाही (वर्ष में दो बार) या वार्षिक आधारपर अंशदान कर सकता है।
- आर एण्ड आर स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम अंशदान 1,000 रुपए और एनपीएस लाईट के लिए 100 रुपए हैं।

सेवा प्रदाता को इस बात का मार्गदर्शन और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एनपीएल लाईट में 1,000 (न्यूनतम) तक की और यूटीआई आर एण्ड आर निधि में 4,000 रुपए (न्यूनतम) की राशि स्थायी अनुदेश/ईसीएस के माध्यम से दिए गए वित्तीय वर्ष अवश्य प्रेषित की गई है जिससे अंशदाता को मंत्रालय का अंशदान प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए अपेक्षित दस्तावेज

यदि कोई अंशदाता महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में शामिल होना चाहिए तो उसके पास केवल निम्नलिखित का होना अपेक्षित होगा

- आरंभिक और अनुवर्ती अंशदान के लिए मान्य बैंक खाता (एनआरईया एनआरओ)
- आपके पासपोर्ट की प्रति
- ईसीआर स्टाम्प और पीओई क्लीयरेंस
- वीजा/वर्क परमिट की प्रति
- 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
- पत्राचार का पता भिन्न होने की दशा में आवश्यक केवाईसी दस्तावेज

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए अंशदाता के पास बैंक खाते का होना अनिवार्य

बैंक खाते का होना क्यों अनिवार्य है

- सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक विनियम
- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना बचतों को नकद में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है
- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में अनुवर्ती अंशदान स्थायी अनुदेश/ईसीएस के माध्यम से संग्रहीत किया जाएगा
- परिपक्वता के पश्चात् धन का अंतरण सीधे लेखा अंतरण के माध्यम से होगा
- इन सभी बातों से महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में कपटमुक्त वातावरण सुनिचित होगा
- इससे अभिदाता में बचत करने की आदत विकसित होती है

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में निवेश केवल अंशदाता के एनआरओ/एनआरई बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकता है।

अंशदाता द्वारा अंशदान न किए जाने पर क्या होगा -

- अंशदाता के महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना खाते में अंशदाता की संचित बचत सुरक्षित बनी रहेगी और उसे अपने नाम से एनपीएस लाइट और यूटीआई में निवेशित रहेगी।
- अंशदाता से अंशदान न मिलने पर प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया जाएगा।
- अंशदाता को प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय से कोई सह-अंशदायी लाभ नहीं मिलेगा यदि वह अंशदान नहीं करता है परंतु उसे बीमा कवर मिलता रहेगा।
- अंशदाता अपनी वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए पर्याप्त राशि की बचत नहीं कर सकेगा।
- वृद्धावस्था और पुनर्व्यव्थापन के लिए पर्याप्त धन संचित करने के लिए अंशदता को नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

यदि बैंक खाता नहीं है तो क्या होगा

अंशदाता को ऐसे मामले में एक बैंक खाता खोलना आवश्यक होगा

- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना सेवा प्रदाता अंशदाता को उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार एक बचत/एनआरओ खाता खोलने में सहायता प्रदान करेगा
- बचत बैंक खाते की दशा में, सेवा प्रदाता स्थायी अनुदेश/ईसीएस अनुरोध के माध्यम से बचत बैंक खाते को एनआरओ बैंक खाते में संपरिवर्तित करेगा
- सेवा प्रदाता को अंशदाता का खाता खोलते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अंशदाता द्वारा अंशदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा कराई जाएगी
- बीओबी बैंक खाता खोलने के लिए बैंक पत्राचार सेवा उपलब्ध कराएगी यदि आवश्यक हो तो 2-3 खुले चेक भी दिए जा सकते हैं।

खोले जाने वाले सभी बैंक खाते एनआरई खाता या एनआरओ खाता होना चाहिए।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में लेखा विवरण

- एनपीएस लाइट - पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग अभिकरण अंशदाता के भारत में पंजीकृत पते पर लेन-देन का वार्षिक विवरण भेजेगी

- आरएफआर स्कीम - यूटीआई एएमसी अंशदाता के भारत सा विदेश स्थित पते पर उसके द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार लेन-देन का छमाही विवरण भेजेगा

- अंशदाता महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना सेवा प्रदाता से या उसके काल सेंटर से संपर्क करके एनपीएस लाइट और आरआर स्कीम में अपनी धनराशि से संबंधित विवरण प्राप्त कर सकता है

- आर एंड आर स्कीम की दशा में अंशदाता के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्य से भी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना सिस्टम और काल सेंटर से अंशदाता खाते तक पहुंच निकट भविष्य में उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में यह सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

अंशदाता अपनी धनराशि कब निकाल सकता है

- आर एण्ड आर स्कीम - अंशदाता के भारत वापस लौटने पर याया महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में शामिल होने के 5 वर्ष के पश्चात् जो पहले हो, आर एण्ड आर बचत से निकासी की अनुमति होगी।
- एनपीएस लाइट - एनपीएस लाइट से निकासी की अनुमति 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले नहीं होगी। जब अंशदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे एनपीएस लाइट खाते से पेंशन प्राप्त लेना शुरू हो जाएगा। पीएफआरडीए की निकास नीति लागू होगी।

अंशदाता की धनराशि में वृद्धि

- अंशदाता की पेंशन और पुनर्व्यवस्थापन की राशि (1) उनके द्वारा बचत की गई रकम (2) एनपीएस लाइट और यूटीआई द्वारा उनकी बचत पर अर्जित आय, और (3) अंशदान के लाभ

- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के अंतर्गत निवेश मुख्यत: सरकारी प्रतिभूतियों और बांड में किया जाता है जिनसे युक्तियुक्त आय प्राप्त होती है।

- आर एण्ड आर स्कीम और एनपीएस लाइट में निवेश का अनुपात 85 : 15 है जिसमें 85 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट बांड में तथा 15 प्रतिशत इक्विटी में है।

- स्कीम के अंतर्गत आय बाजार पर निर्भर करती है, इसलिए आय की दर न तो निश्चित है और न ही गारंटीकृत।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में अशंदाता प्रभार

एनपीएस लाइट में पेंशन खाता

एग्रीगेटर	**उपभोक्ता सेवा**	**कोई प्रभार नहीं**
सीआरए	पीआरए खोलने का प्रभार	35 रुपए (एक बार देय)
	प्रति खाता वार्षिक पीआरए अनुरक्षण प्रभार	70 रुपए वार्षिक
	प्रति लेन-देन प्रभार	5 रुपए (प्रतिवर्ष पहले 12 लेन-देन नि:शुल्क)
ट्रस्टी बैंक	गैर-भारतीय रिजर्व बैंक अवस्थिति से किया गया प्रत्येक लेन-देन	15 रुपए
कस्टोडियन	आस्ति सर्विसिंग प्रभार	0.0075 प्रतिशत प्रतिवर्ष इलेक्ट्रानिक भारत के लिए और 0.05 प्रतिशत भौतिक भाग के लिए

आर एण्ड आर बचत - यूटीआई - एमआईएस स्कीम

एन्ट्री लोड (एनएवीके % के रूप में)	**शून्य**	
वार्षिक आवर्ती व्यय	दैनिक औसत एनएवीके प्रतिशत के रूप में कुल आवर्ती व्यय	1.80 प्रतिशत
	दैनिक औसत एनएवी के प्रतिशत के रूप में कुल प्रबंध प्रभार	0-9 प्रतिशत

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना नामांकन पद्धति और प्रक्रिया

ईसीआर देशों में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में नामांकन पद्धति

1. **मिशन/सीजीआई कार्यालय में अंशदाता का नामांकन** - जहां अंशदाता ईसीआर देशों में कार्य का आवश्यक क्लीयरेन्स प्राप्त करने जाता है।

2. **अंशदाता आवासीय कैम्प में अंशदाता का नामांकन -** उत्प्रवासी कर्मकारों बहुल विभिन्न कैम्पों/पाकेटों में नामांकन कैम्प या मोबाइल नामांकन वाहनों के माध्यम से।

3. **मध्य दिवसीय अवकाश के दौरान कार्यस्थल पर अंशदाता का नामांकन** - नियोक्ता की अनुमति और समर्थन से सेवा प्रदाता मध्य दिवसीय अवकाश के दौरान कार्यस्थल पर कैम्प के मोबाइल नामांकन वाहन को खड़ा करके भी अंशदाता को महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में पंजीकृत कर सकता है।

4. **सेवा प्रदाताओं को शाखा कार्यालयों में नामांकन** - अंशदाता वर्कस कैम्प के समीपस्थ चुनी गई शाखाओं में खोले गए नामांकन केन्द्र में जाकर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकता है।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में अंशदाता पंजीकरण

आवेदक

निर्माता

1. निर्माता अंशदाता के दस्तावेजों की जांच करता है।

2. निर्माता विवरणों का उपयोग करके लॉग इन करता है और एमजीपीएसवाई सिस्टम में जानकारी डालता है जिसमें स्केन किया गया फोटोग्राफ और हस्ताक्षर भी शामिल है तथा प्राधिकृत किए जाने के लिए सबमिट करता है

चेकर

3. चेकर विवरणों का उपयोग करे लॉग इन करता है और आवेदक की जानकारी को प्राधिकृत करता है और उसकी पुष्टि करता है।

एमजीपीएसवाई

4. सृजित करता है
- एमपीएस लाइट फार्म
- यूटीआई फार्म
- केवाईसी फार्म
- 3 स्थायी अनुदेश/ईसीएस फार्म
- पावती
- पीएलआईएफ सं. (पूर्व मुद्रित एमजीपीएसवाई कार्ड में मुद्रित)

5. सभी फार्मों और चेकों (यदि कोई हो) पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते है, केवाईसी दस्तावेज लिया जाता है और स्वागत किट में दिया जाता है।
- एमजीपीएसवाई कार्ड
- एफएक्यू
- पावती
- अनुदेश पत्र और स्वागत पत्र

साझेदारी स्कीम अभिदाता का पंजीकरण

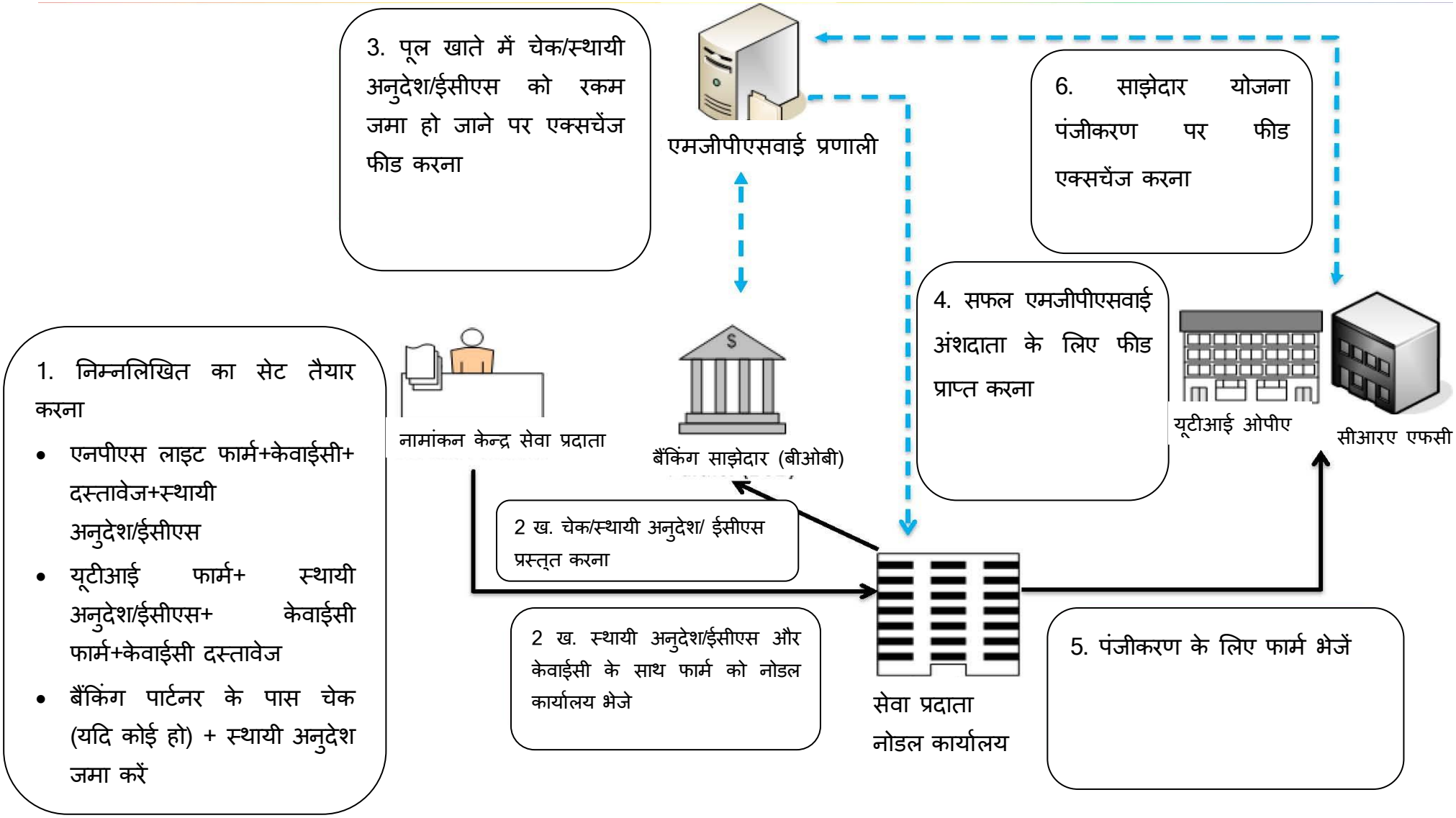

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना में अंशदाता अंशदान प्रवाह

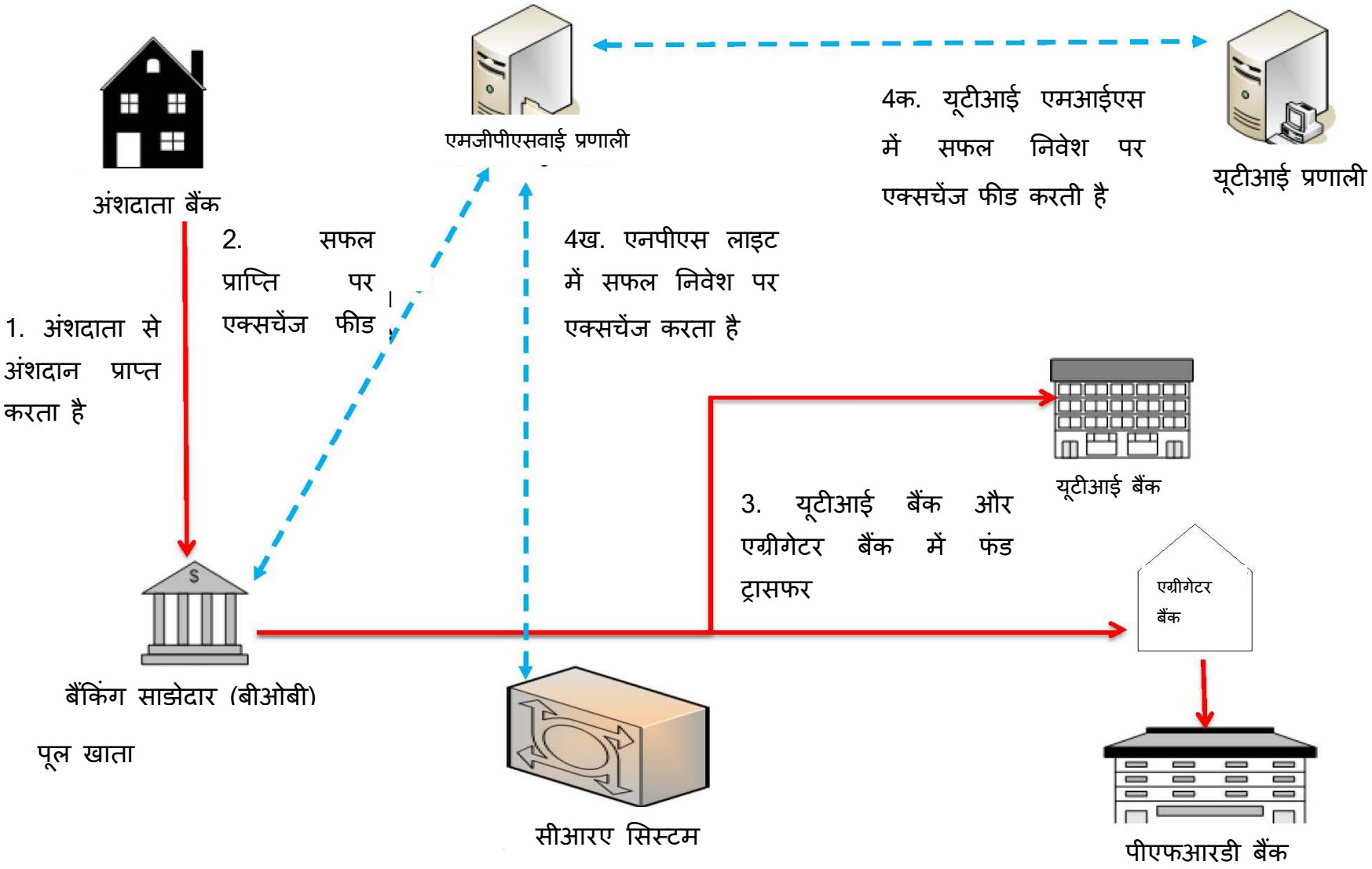

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना - अवसंरचना

अवसंरचना

सेवा प्रदाता के पास प्रत्येक नामांकन स्टेशन पर नीचे परिभाषित पर्याप्त आईटी अवसंरचना होनी चाहिए।

अपेक्षा	मात्रा
डिजिटल हस्ताक्षर	2
कम्प्यूटर सिस्टम	2
वेब/डिजिटल कैमरा	वांछनीय
स्केनर	1
कलर प्रिंटर	1
यूपीएस	2
इंटरनेट कनेक्शन	दो सिस्टमों के लिए

नामांकन स्टेशन स्थल पर अपेक्षित अन्य आवश्यक कार्यालयी जुड़नारों की व्यवस्था सेवा प्रदाता द्वारा की जानी चाहिए।

धन्यवाद